अपराध गोष्ठी
दिनांक- 26.03.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-

चैत्र रामनवमी, ईद-उल-फितर, अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों, यातायात व्यवस्था व सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता रखने हेतु दिये गए निर्देश-

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को वांछित, वारंटी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही तथा त्यौहारों में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए।

दिनांक 25.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी की गई, जिसका मुख्य विषय आगामी त्यौहार चैत रामनवमी, ईद-उल-फितर, अम्बेडकर जयंती इत्यादि के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी, वांछित, वारंटी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही, अपराधियों के सत्यापन तथा महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम, यातायात, कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा । महोदय द्वारा सर्वप्रथम थाना प्रभारियों से उनके थाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अबतक की गयी तैयारियों के सम्बन्ध जानकारी प्राप्त की तत्पश्चात आगामी त्यौहारों चैत रामनवमी, ईद-उल-फितर, अम्बेडकर जयंती, अयोध्या में भव्य रामनवमी मेला के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों पर दंगा निरोधक उपकरणों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध किया जाये तथा वहाँ पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की क्रियाशीलता को चेक कर ठीक करा लिया जाये । ईद-उल-फितर के दृष्टिगत यह सुनिश्चित कर लिये जाये की उनके द्वारा नमाज ईदगाह/मस्जिदों में ही पढ़ी जाये । अम्बेडकर जयन्ती पर विशेष सतर्कता रखी जाये तथा पोस्टर पार्टी को प्रतिदिन ब्रीफ कर समय से रवाना किया जाये । अयोध्या में भव्य नवरात्रि मेला के दृष्टिगत रूट डायवर्जन/रूट चार्ट तैयार कर लिया जाये और उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए । रामनवमी के दृष्टिगत अयोध्या जाने वाले मुख्य मार्गों पर विशेष ध्यान रखते हुए पेट्रोल पंप , होटल, ढाबा, मैरिज लान आदि के संचालकों से वार्ता कर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था कराई जाये । सोशल मीडिया सेल विशेष निगरानी रखेगें किसी के द्वारा सोशल मीडिया पर यदि कोई विद्धेषपूर्ण, आपत्तिजनक, समाज विरोधी, अराजक, धार्मिक रूप से भड़काऊ, हिंसा / धरना-प्रदर्शन के लिए उकसाने वाली पोस्ट की जाती है तो तत्काल अवगत करायेगे तथा पोस्ट करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराई जाए। संदिग्ध/घूमन्तू व्यक्तियों की चेकिंग कर, शहर से बाहर करने व आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों/सम्भ्रान्त व्यक्तियों के सहयोग से सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु, प्रत्येक बीट/मजरा में सुरक्षा समिति की बैठक कर सुचारू रूप से संचालन करने, बैंको/एटीएम की सघन चेकिंग, रात्रि गस्त/पिकेट बढ़ाकर सतर्कता से ड्यूटी करने व एन्टी रोमियो टीम, साइबर हेल्पडेस्क, महिला/पुरूष हेल्पडेस्क व मा0 न्यायालय से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का त्वरित व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने व विवेचकों को समयबद्ध विवेचना निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। लूट/चैन स्नैचर के मुकदमें में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने व जेल से छूटे आपराधियों का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया । इसके साथ ही अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, चोरी, लूट व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व

ग्रामीण इलाकों में प्रभावी रात्रि गश्त करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने तथा प्रतिदिन बैंक ड्यूटी में जाने वाले पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के सम्बन्ध में ब्रीफ करने, पीआरवी वाहनों की निरन्तर चेकिंग करने, संवेदनशील स्थानों पर पीआरवी वाहनो की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया। अवैध अतिक्रमण , यातायात व्यवस्था, ई-रिक्शा वेरिफिकेशन व संचालन से सम्बन्धित मार्गों का निर्धारण समय से कर लिया जाए। सभी चिन्हित प्रमुख चौराहों पर 50 मीटर से पहले किसी भी सवारी वाहन को नहीं खड़े होने दिया जाएगा। बस/टैक्सी स्टैण्ड के संचालन में किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत न प्राप्त हो यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो जांच करा कर उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। चैत रामनवमी के दृष्टिगत मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये थानो पर गठित एण्टीरोमियो टीमों की क्रियाशीलता निरंतर जारी रखने, छेड़छाड़, पीछा करने, उत्पीडन या अन्य आपराधिक कृत्यों में संलिप्त शोहदों, मनचलो को चेतावनी के रूप में रेड कार्ड जारी किया जाये। यदि वे फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगों के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच०एस० खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर ज्यादा से ज्यादा गैंग रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे अपराधी जिन्होने अपराधिक कृत्य के माध्यम से सम्पत्ति अर्जित की गयी है उनके विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 107 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। महोदय द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के अन्तर्गत चिन्हित वाद/मुकदमों की समीक्षा की गयी तथा नये मुकदमों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया
गोण्डा पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2025 से अबतक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 59 अभियुक्तों के विरुद्ध 12 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 08 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 03 प्रकरण में अपराध से अर्जित की गयी 01 करोड़ 11 लाख 01 हजार 8 सौ रुपए की सम्पत्ति जब्त की गयी है। नए कानून 107(1) बीएनएसएस के तहत अपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति 01 अदद चार पहिया XUV कार व 01 अदद एप्पल मोबाइल फोन (कुल कीमत 10 लाख रूपये) कुर्क /जब्त किया गया। 52 अभियुक्तों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 09 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी है। एनडीपीएस एक्ट के 180 मुकदमों से संबंधित 517.157 किलोग्राम मादक पदार्थ (लगभग 4 करोड़ 53 लाख रूपये) को जलाकर नष्ट किया गया। डी0जी0पी0 महोदय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोण्डा पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या, लूट, नकबजनी आदि के 306 अभियोगों में 521 अभियुक्तों को सजा करायी गयी है इनमें से 03 अपराधियों को आजीवन कारावास, 24 अभियुक्तों को 10 वर्ष से अधिक का कारावास, 06 अपराधियों को 05 वर्ष से अधिक का कारावास और 488 अपराधियों को 05 वर्ष से कम/अर्थदंड की सजा हुई है।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 26.03.2025</u>

<u>महामहिम राजपाल महोदया जी के प्रस्तावित जनपद गोण्डा आगमन से पूर्व जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कार्यक्रम स्थल मेडिकल कालेज गोण्डा में जनपदीय पुलिस/बाहरी जनपदों से आए पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण की ब्रीफिंग कर सतर्कता व सजगता से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु दिए गये आवश्यक दिशा निर्देश –</u>

गोण्डा। दिनांक 27.03.2025 को महामहिम राजपाल महोदया उ0प्र0 के प्रस्तावित जनपद गोण्डा आगमन से पूर्व आज दिनांक 26.03.2025 को मंडलायुक्त देवीपाटन परिक्षेत्र श्री शशि भूषणलाल सुशील, जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा कार्यक्रम स्थल मेडिकल कालेज गोण्डा में जनपदीय/बाहरी जनपदों से आए अधिकारी व कर्मचारीगण की ब्रीफिंग कर सतर्कता व सजगता रखते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये ।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में विस्तार से बताया कि ड्यूटी के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समय से अपने ड्यूटी पर पहुंचकर ड्यूटी पूरी गम्भीरता से निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने ड्यूटी स्थल पर कार्यक्रम समाप्ति तक बने रहेंगे और कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न करायेंगे। सभी अधिकारियो के नम्बर अपने पास रखने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करने हेतु बताया गया। समस्त कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अनुशासन, संयम व अच्छा आचरण रखने, अपना पहचान पत्र एवं ड्यूटी कार्ड साथ रखने तथा ड्यूटी में नामित समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने साथ वीडियों कैमरा, एण्टीराइट उपकरण से सुसज्जित होकर ड्यूटी हेतु आगमन करेगें तथा अपने आस पास होने वाली गतिविधियों को कैमरे में कैद करना सुनिश्चित करेगें। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ड्यूटी के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का विघ्न डालने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे अराजक तत्वों पर पूरी सख्ती से कानूनी कार्यवाही की जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिशा–निर्देशो का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

महोदय द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु चाक चौबन्द सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारिया कर ली गयी है। कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिसमें 02 अपर पुलिस अधीक्षक, 06 पुलिस उपाधीक्षक, 16 प्र0नि0/निरीक्षक, 80 उप निरीक्षक सहित पर्याप्त संख्या में विभिन्न रैंक के पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी वर्दी/शादे वस्त्र में लगाई गयी है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति के लिए क्यू0आर0टी0 की व्यवस्था किया गया है। कार्यक्रम स्थल के आस पास लगातार स्थानीय अभिसूचना इकाई के द्वारा हैण्ड हेल्ड मेटेल डिटेक्टर के माध्यम से व डॉग स्क्वायड द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं एवं वाहनों की जगह–जगह चेकिंग करायी जा रही है तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनवरत भ्रमणशील रहकर विभिन्न ग्रामों/मोहल्ला/कस्बों में फुट पेट्रोलिंग किया जा रहा है ।

<u>इस अवसर पर ड्यूटी पर लगे जनपदीय/बाहरी जनपद से आये हुए पुलिस बल के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागीय राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>